**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**प्रकरण संख्या : निगरानी/एलआर/10670/2002/राजसमन्द**

मुबारिक शाह पिता फकरूद्दीन शाह फकीर निवासी कूरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

**.....प्रार्थी**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

**.....अप्रार्थी**

**एकल पीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**

**उपस्थितः–**
श्री सम्पत लाल बोहरा, अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी।

**निर्णय**

**दिनांकः– 20–09–2019**

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम' 1956) की धारा 84 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–04–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मियाद से बाधित पेश की है। अतः निगरानी प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा करने बाबत प्रार्थी ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के हमारे समक्ष पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्ष को सुना। हमारे द्वारा मियाद

अधिनियम के प्रार्थना पत्र में किए गए उद्धरणों का अवलोकन किया तथा हम पाते है कि अंकित कारण सद्भावी, सत्यनिष्ठ होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर प्रकरण प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपतहसीलदार रेलमगरा ने आदेशिका दिनांक 17-10-1997 इस आशय के साथ पारित की कि पटवारी हल्का कूरज ने रिपोर्ट पेश कर अंकन किया कि ग्राम कूरज के आराजी संख्या 800 मिन रकबा 1 बीघा भमि किस्म बिलानाम लगानी 0-50 पर मुबारिकशाह पिता फकरूद्दीन शाह जाति फकीर निवासी कुरज ने सम्वत 2028 में नाजायज कब्जा किया है तथा फसल ज्वार काश्त की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने प्रार्थी को धारा अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित करते हुए आराजियात से बेदखली, लगान 0-50 के 50 गुना 25/- रूपया जुर्माना आरोपित किया। इसके साथ ही फसल जब्त सरकार की जाकर नीलामी के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 20-01-1998 के द्वारा अपास्त करते हुए तहसीलदार के आदेश को यथावत रख दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16-02-1999 द्वारा अपास्त करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रख दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 09-04-2002 द्वारा खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र में पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा मामले में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया है।

5. यह तथ्य तो निर्विवादित है कि राजस्व ग्राम कुरज स्थित आराजी खसरा संख्या 800 मिन रकबा 1 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर मुबारिक शाह पिता फकरूद्दीन शाह फकीर निवासी कूरज द्वारा सम्वत 2054 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर फसल ज्वार काश्त की गई है। अतः हमनें समस्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित हुआ है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है।

6. बहस के दौरान प्रार्थी पक्ष का मुख्य आक्षेप यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही में प्रार्थी को विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसरण में तामीली सुनिश्चित नहीं की गई है। उक्त उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में रेकार्ड से यह पाया जाता है कि नोटिस की प्रार्थी के परिवार के सदस्य मुंशी हमीद पर तामील कुनिन्दा द्वारा तामील करवा दी गई थी, इसलिए यह कहना कि प्रार्थी को नोटिस की तामील नहीं करवाई गई थी। अपितु मुंशी हमीद का यह नैतिक दायित्व था कि वह उक्त नोटिस संबंधी जानकारी प्रार्थी को करवाता। यदि प्रार्थी यह मानता है कि मामले में उसे विधिनुसार तामील नहीं करवाई गई है, अतः इस बाबत प्रचलित नियमों के तहत मुंशी हमीद पर तामील नहीं होने बाबत न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पेश किया जाना चाहिए था। अतः इस प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण संबंधी जारी नोटिस आदि की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार वर्ष 1990 से 23-10-1996 की अवधि के है, जिससे भी प्रार्थी का विवादित रकबे पर 16 वर्ष से निरन्तर कब्जा होने के कथन की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त रेकार्ड से यह भी परिलक्षित होता है कि विवादित रकबे के क्रम में वर्ष 1984 से प्रार्थी के निरन्तर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित रकबे का नियमानुसार नियमन का पात्र भी नहीं पाया जाता है।

7. उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि मामले में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अन्तर्गत पारित किए जाने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी

ने निगरानी मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करके पेश किए जाने के कारण प्रार्थी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यहीं नहीं प्रार्थी ने आक्षेपित निर्णय को अन्यथा सिद्ध करने हेतु किन्हीं नवीन तथ्यों को हमारे समक्ष प्रकट नहीं किए है। सारांशतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व बलहीन पायी जाने के कारण इसे अपास्त किया जाना उचित पाया जाता है।

8. उपरोक्तानुसार यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-04-2002 को यथावत् रखा जाता है।

9. पत्रावली उपरोक्तानुसार निर्णित की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(प्रवीण गुप्ता)**
**सदस्य**